not a member of the House. It is not connected with the House. It must not go on record.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already said on some other occasion that anybody making any remark while sitting will not go on record.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already said it.

(*Interruptions*)

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: He also did not seek the permission of the Chair. (*Interruptions*) May I make a submission? In your earlier ruling you had said that those members who have not taken your permission, if they start speaking, that should not go on record.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now matters under rule 377. Now, anybody getting up without the permission of the Speaker, if he speaks, it will not go on record. It is the ruling of the Speaker. Now matters under rule 377. Shri Harish Chandra Singh Rawat. That applies to any hon. member in this House including Mr. Tewary.

14.40 hrs.

Matters under rule 377

(i) DEVELOPMENT OF FOREST AREAS IN HIMALAYAN REGION.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्षों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

"माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा बार-बार वनों के संरक्षण व संवर्धन के महत्व पर जोर दिया जा रहा है, विशेषकर हिमालियन रिजन के वनो के राष्ट्रव्यापी महत्व के सन्दर्भ में। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों का अंधा-धुंध कटान किया जा रहा है। इस भाग में राष्ट्र के पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखने के लिये 67 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र होना चाहिये, लेकिन आज यहां मात्र 22 प्रतिशत वनाच्छादित भाग रह गया है। इस अंधाधुंध कटान का सबसे दुखद पहलू तो यह है कि कटान के कार्य को सरकार की एजेन्सी "वन निगम" के द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर किया जा रहा है। लकड़ी के लट्ठों को लुढ़काया जाता है जो भयंकर भू-क्षरण करता है। लकड़ी की मंडियों में ढो कर या तो नीलाम किया जाता है या एक अनुबन्ध के तेहत स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को सस्ते दामों पर बेचा जाता है। समस्त कच्चा माल यहां से प्राप्त होने के बावजूद यहां के 1 प्रतिशत लोगों को भी इस मिल में रोजगार प्राप्त नहीं है। स्थानीय जनमानस इस करार के किये जाने के प्रारम्भिक दिनों से ही उद्वेलित रहा है। चूंकि वर्तमान करार की अवधि समाप्त हो रही है, अतः सरकार पुनः करार को न करे तथा इस रिजन में वनों के कटान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय ताकि सारे देश के पर्यावरण व जलवायु सन्तुलन पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोका जा सके। बाढ़, सूखा, भू-क्षरण तथा सिल्टिंग के कुप्रभावों को नियन्त्रित किया जा सके।

वन-संरक्षण के क्रम में केन्द्रीय सरकार द्वारा विगत दिनों जो अधिनियम पारित किया गया है, वह उत्तर प्रदेश सरकार की एजेन्सीज के माध्यम से वनों के कटान पर रोक लगाने में असमर्थ है। इस अधिनियम का उपयोग स्थानीय सार्वजनिक विकास के कार्यों के क्रियान्वयन में व्यवधान पैदा करने के लिये किया जा रहा है। सड़क, भवन, पुल, पेयजल आदि निर्माण की योजनायें इस अधिनियम के कारण स्थगित हो गई हैं। स्थानीय जनता यदि एक खाली भूमि को मकान बनाने के लिये चाहती है तो स्थानीय अधिकारी इस अधिनियम का हवाला दे कर उन्हें इस अधिकार से वंचित कर रहे है। यह अधिनियम मात्र केन्द्र की सरकार की बदनामी का कारण बन कर रह गया है। अतः इस वर्तमान अधिनियम में उपरोक्त अवरोधों को दूर करने के लिये संशोधन आवश्यक है, अन्यथा स्थानीय जनता वनों के संवर्धन के प्रति और अधिक उदासीन हो जायगी।

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

जन सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सरकार इन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था के आयोजन को वनों पर आधारित करे। चौड़ी पत्तों का वाटर-रिटेनर वनों का रोपण करे तथा पशुओं के चारे के रूप में काम आने वाले वृक्षों के रोपण के कार्यक्रम को विभिन्न एजेन्सीज के माध्यम से संचालित करवाये तथा यहां के लोगों को वाणिज्य उपयोग के जंगलों को खेती के लिये सामाजिक वानिकी के प्रयोग के तेहत प्रोत्साहित करे। वनों पर आधारित उद्योग जैसे पेपर-पल्प, विरोजा फैक्ट्रियों को यहां स्थापित करे। वन विज्ञान को स्थानीय जनता के शिक्षा का अंग बनाने तथा इन क्षेत्रों के बाशिन्दों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कुकिंग-गैस, विद्युत तथा कोयला सस्ते दामों पर प्राथमिकतानुसार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। उपरोक्त कार्यक्रमों को समग्र तौर पर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है ताकि इन सकल प्रयत्नों को सुफल प्राप्त हो सके।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के द्रुत क्रियान्वयन के सन्दर्भ में मैं माननीय योजना मंत्री जी से इस माननीय सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं।

(ii) NEED FOR ENHANCEMENT OF SALARIES OF STAFF IN INDIAN EMBASSIES.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: (Bombay North East): In my recent round-the world trip I came into contact with the Indian Embassy employees in many countries. As a Member of Parliament I considered it my duty to ask questions about their welfare and status.

If the employees of the Embassies are kept happy, then their efficiency in work would rise. As a consequence India's prestige and reputation would rise as well.

Unfortunately the plight of these employees is not at all good. In many countries, the cost of living has been rising at a fast rate, but the Embassy employees have not got any pay-rise for several years, ranging from four to eight years. This has heaped indignities on even senior Embassy staff because they are finding it hard to make both ends meet at a reasonable standard of living.

Amongst the category of employees who have been locally recruited in the country in which our Embassy is situated the situation is much worse. These locally recruited employees who are mostly Indians are paid salaries below the poverty line prevailing in those countries. In the USA these employees do not even receive the legislated minimum wage paid to skilled employees bringing our country into ridicule. Nor do they receive even minimum medical benefits and coverage.

I urge the Government to immediately raise by fifty per cent the salaries of our Embassy staff, and also appoint a Pay Commission for these employees for future determination of pay.

(iii) SHORTAGE OF LIFE SAVING DRUGS AND STOPPAGE OF PRODUCTION BY M/s. DEY-SE-CHEM LTD., CALCUTTA.

SHRI R. P. DAS (Krishnagar): Sir, even after drawing atteition of this house by number of M. Ps. on a number of occasions that there is acute shortage of life-saving drugs in the country and many drug companies are underclosure and lockout the Government, has done nothing in this matter. As a result the country has to drain out some foreign exchange to import the same life saving drugs. This is the policy of the Ministry of Petroleum and Chemicals which does not encourage indigenous products, products of the State owned chemical and pharmaceutical units. The gap between export and import is bound to be widened unless the Government lay more stress on the indigenous products. And that is why the Government should come forward for resumption of production. I cite here an example. M/s. Dey-Se-Chem Ltd., Calcutta has been manufacturing chloramphenical in bulk powder